यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra

कार्पोरेशन Corporation

आरटीआई

मेरा अधिकार मेरी ताकत

आओ सौरभ, आज मेरे चैंबर में कैसे? सब ठीक तो है न?
एडवोकेट मानस
मरीज डाक्टर के पास और कोई व्यक्ति वकील के पास अपनी समस्या ले कर ही आता है. अब तुम ही मदद कर सकते हो.
अरे मित्र, हमारे रहते चिंता कैसी? कहो क्या बात है?
मैंने राज्य बोर्ड में एक फ़्लैट के लिये आवेदन किया था. साथ ही दो लाख रुपए का एक ड्राफ्ट भी भेजा था.
ड्रा निकले दो वर्ष बीत गये, न तो फ़्लैट मिला और न ही पैसे.
बोर्ड को कितने ही पत्र लिख चुका हूं. दो-दो चक्कर भी काट आया. पर कुछ पता नहीं चला. समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं?
ओह!

बस इतनी सी बात, यह फार्म भरो और दस रूपए की फीस के साथ बोर्ड को भेज दो.
सवा महीने बाद
तुमने तो कमाल ही कर दिया! जहां कोई सुनवाई नहीं हो रही थी वहां 30 दिन में मेरे पैसे भी वापस आ गए.
यह मेरा नहीं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का कमाल है. इसे सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए ही बनाया गया है.
यह भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अतिउत्तम तंत्र उपलब्ध कराता है.
और हां, सबसे बड़ी बात कि इसके लिए वकील की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती.
मतलब तुम्हारे लिए घाटे का सौदा!
कॉफी शॉप

पर नागरिकों को कितनी सुविधा हो गई है.
वह तो है.
यह कनिका है. शादी के बाद इसका पति घर चलाने के लिए इसे मात्र सात हजार रुपये देता था. कनिका को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है.
पत्नी को **आरटीआई** के माध्यम से सरकारी संस्थाओं में कार्यरत पति के वेतन की जानकारी प्राप्त करने का पूरा हक है. इससे पता चला कि पति का वेतन तीस हजार रुपए है.
उससे थोड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि गलत आदतों के कारण वह शेष पैसा बर्बाद कर देता था. समझाने पर वह सुधर गया. अब दोनों सुखी जीवन जी रहे हैं.
सच, यह अधिनियम तो बड़े काम की चीज है.

शाखा में
क्या हुआ काव्या?
तो टेंशन कैसी?
यह पूछो कि क्या नहीं हुआ? सर ने अनन्या को ५-५ आरटीआई के आवेदन-पत्र दिये थे. आज 10 दिन हो गये, उसे छुट्टी पर गये हुए.
बैंक
उसके सिवा यह काम हम में से कोई नहीं जानता. कानूनी मामला है न. सब डरते हैं.
?
मैं तो पहले ही कह रहा था कि शाखा में ऐसे पत्र लेने ही नहीं चाहिये. अब पड़ गया न झमेला.
झमेला तो तब पड़ता जब शाखा उसे लेने से मना कर देती.
आप चिंता न करें सर, मैं प्रयास करता हूं.
बहुत अच्छे.
शाखा प्रबंधक

शाम को
मित्र क्या हम सूचना के रूप में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं?
रिकॉर्ड, दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, ज्ञापन, ई-मेल, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, संविदा, लॉग बुक, रिपोर्ट, नमूने, डाटा इत्यादि.
इतना कुछ?
हां, पर इनकी भी कुछ सीमा है. जैसे बैंक या संस्थान रिकार्ड उपलब्ध होने पर ही सूचना प्रदान करेंगे.
सूचना देने के लिए रिकार्ड नहीं बनाएंगे.
सर, कोई रिकार्ड नहीं मिला मैंने बड़ी मेहनत से यह नया रजिस्टर बना दिया है.
एक बात और सूचना का संकलन यदि सभी शाखाओं/कार्यालयों से करना पड़े तो धारा 7(9) के अंतर्गत मना किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह सूचना एकत्रित करने में अत्यधिक समय व धन का अनावश्यक अपव्यय होगा.
सही है.
सूचना न दिये जाने पर बताना होगा कि कौन सी धारा के अंतर्गत आप सूचना देने से मना कर रहे हैं.
अच्छा.

धारा 8 (1) (J) के अंतर्गत तीसरे पक्ष को जारी किए गए ज्ञापन/आरोप-पत्र/दंड की कापी/प्रति सामान्यत: प्रदान नहीं की जा सकती.
ज्ञापन
आरोप-पत्र
क्या यह सभी सरकारी संस्थानों पर लागू होता है?
नहीं! सीबीआई, आईबी, राजस्व, खुफ़िया निदेशालय इत्यादि इसके अपवाद हैं.
जहां देश की सुरक्षा प्रभुसत्ता, संप्रभुता आर्थिक वैज्ञानिक हित या अन्य देश से संबंधों पर प्रभाव पड़े, वहां यह लागू नहीं होता.
ऐसे विषय जिनको न्यायालय/ट्रिब्यूनल ने प्रकाशित व प्रसारित करने पर रोक लगा रखी हो, इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं.
विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं या ऐसी सूचना जिससे किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए.

व्यावसायिक अथवा व्यापारिक सुरक्षा सीक्रेट या बौद्धिक संपदा जिसके उजागर होने से प्रतिस्पर्धा में अंतर आता हो.
अच्छा.
कापी राइट एक्ट का उल्लंघन करने वाली कोई जानकारी.
किसी की व्यक्तिगत जानकारी या किसी का आयकर रिटर्न साझा नहीं किया जा सकता. इसी प्रकार किसी जाँच प्रक्रिया में बाधा डालने वाली जानकारी भी उजागर नहीं की जा सकती.
संक्षेप में कहें तो राष्ट्रहित, जनहित संस्थाहित व सुरक्षा के विरुद्ध कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती.
आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है. आरटीआई क्या अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है.
नहीं भारत सरकार का आरटीआई पोर्टल भी है. उससे आवेदन-पत्र डाउनलोड करके उसी पर जवाब भी अपलोड कर सकते हैं.
वाह! इसे कहते हैं समय के साथ कदमताल करना.

आरटीआई जनता की समस्याएं दूर करने के साथ-साथ कई घोटाले भी उजागर कर चुका है.
पर दु:ख की बात यह है कि कुछ लोग इस सुविधा का दुरूपयोग भी करते हैं.
?
जानते नहीं मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूं. मुझे तुरंत पूरी जानकारी चाहिए, नहीं तो देख लूंगा.
आग
भोजन पकाने के लिए अच्छी है न कि संपत्ति जलाने के लिए.
अगले दिन
आरटीआई आवेदन-पत्र प्राप्ति और निपटान रजिस्टर लाओ.
जी

सौरभ ध्यान रहे इनका उत्तर समय सीमा के अंदर देना होता है.
जानता हूं सर.
किसी के जीवन या स्वाधीनता से जुड़ा मामला है तो 48 घंटे और सामान्य आवेदन का 30 दिन में उत्तर देना चाहिए.
यदि सूचना किसी जन-सम्पर्क अधिकारी से प्राप्त करनी हो तो 35 दिन और तीसरे पक्ष से संबंधित है, तो अधिकतम 40 दिन में दे दी जानी चाहिए.
किन्तु तय समय में जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा कि सूचना देने से मना किया गया है.
वाह! तुम्हें इतनी सब जानकारी कहां से मिली?
जी कुछ परिपत्रों से और कुछ मेरे वकील मित्रों से.
इसे कहते हैं जहां चाह, वहां राह.

सर, हमारे बैंक में क्षेत्र प्रमुख केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी होते हैं और अपील करने के लिये संबंधित महाप्रबंधक अपीलीय अधिकारी होंगे.
केंद्रीय कार्यालय में, सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.) कार्मिक और सतर्कता संबंधी मामलों के लिए एवं सहायक महाप्रबंधक (विधि) अन्य विभागों से संबंधित जानकारी देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हैं.
इनके आदेश के विरुद्ध या आदेश न प्राप्त होने पर क्रमश: महाप्रबंधक (मा.सं.)/ महाप्रबंधक (सीआरडी) को अपील किया जा सकता है.
भले ही आवेदन शाखा में प्राप्त हुआ हो, शाखा उचित रिकार्ड रखते हुए आवेदन-पत्र तथा संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेगी.
क्षेत्रीय कार्यालय स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से आवेदक को उत्तर भेजेगा.
आपकी रजिस्ट्री है.
उत्तर में सूचना अधिकारी के नाम पते के साथ-साथ उस अधिकारी का भी जिक्र होगा, जहां अपील की जा सकती है.
क्या बात है!
सभी फार्म व रजिस्टरों के नमूने बैंक के परिपत्रों में उपलब्ध हैं.
बहुत बढ़िया.

आलोक भार्गव द्वारा रेखांकित व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विधि विभाग के समन्वयन से राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा प्रकाशित.